कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला–धमतरी (छ.ग.)

–/ / निविदा आमंत्रण/ /–

/ /संक्षिप्त निविदा सूचना का प्रारूप/ /

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक.........188.......... दिनांक21-01-2021 महिला एवं बाल विकास विभाग जिला–धमतरी की ओर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (वर्ष 2020–21) के तहत् सामुहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पूजा/उपहार सामाग्री के लिए इच्छुक अधिकृत विक्रेताओं/निविदादाताओं से बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला प्रकोष्ठ–धमतरी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रू. ***500/–*** (पांच सौ रूपये मात्र) को ***0235–सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 08–अन्य प्राप्तियों मद्*** में चालान की मूल प्रति दिनांक 04.02.2021 तक प्रस्तुत कर कार्यालयीन समय में(10:30 से 05:30 बजे तक) प्राप्त किये जा सकते है। निविंदा के प्रारूप एवं शर्ते जिले की वेबसाईड www.dhamtari.gov.in से देखे जा सकते है ।

निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि	04.02.2021 समय 5.00 बजे अपरान्ह
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	05.02.2021 समय 2.00 बजे अपरान्ह
निविंदा खोलने की तिथि	05.02.2021. समय 3.00 बजे अपरान्ह

संलग्नः– निविदा के प्रारूप एवं शर्ते

स्थान :– महिला एवं बाल विकास विभाग जिला–धमतरी

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला – धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला–धमतरी (छ.ग.)

/ /निविदा एवं शर्तें / /

क्र./   /मबावि/लेखा/2020–21   धमतरी दिनांक   /   /2021

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला धमतरी (छ.ग.) अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में "उपहार सामग्रियों के क्रय के लिए अधिकृत विक्रेता/सप्लायर/निविदादाताओं से मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना हेतु उपहार सामाग्री हेतु निविदा आंमत्रित किये जाते है। उपहार सामाग्री भाग 'क' के तहत रखा गया है निविदा की शर्ते निम्नानुसार है:–

01. भाग 'क' उपहार सामाग्रियो का विवरण हेतु शर्तें –

क्र.	सामाग्री का विवरण	व्यय सीमा
1.	कपड़ा सेट–:– 1 पैजामा सफेद/कीम कलर (नाड़ा सहित), 1 फुल आस्तीन कुर्ता सफेद/कीम, 1 पीले रंग का दुल्हा साफा, 1 दुल्हा पगड़ी लाल रंग, 1 सफेद नेपकीन जेन्ट्स, 1 सफेद नेपकीन लेडीस 1 दुल्हन साड़ी(लाल/मेहरून), 1 पेटीकोट नाड़ा सहित मध्यम साईज, 1 सिला हुआ ब्लाउज मध्यम बटन सहित, 1 जोड़ी लेडिज चप्पल, एवं 1 जोड़ी चप्पल। **(सभी सामाग्री का सेट एक मजबूत थैला में दिया जाना होगा)** टीपः– लेडीज चप्पल एवं जेन्ट्स चप्पल का साईज परिवर्तनीय रहेगा। **श्रृंगार सामाग्रीः–** 1 वर मौर मुकुट, 1 वधु मौर मुकुट (माला सहित) श्रृंगार सामग्री के साथ बॉक्स सहित दर्पण युक्त (सामाग्री का सेट 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत' प्रदत्त लिखा एक बाक्स में दिया जाना होगा) ।	उक्त उल्लेखित सामग्री – कपड़ा सेट एवं श्रृंगार समाग्री हेतु व्यय सीमा 4000/–(चार हजार रूपये मात्र) होगी।
2.	1 चांदी का मंगलसूत्र व चांदी का बिछिया (75 टंच का) लगभग 1 तोला का	उक्त उल्लेखित सामग्री हेतु व्यय सीमा 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) होगी।
3.	अन्य उपहार सामग्री :– 1 नग ट्राली बेग (साईज 20 इंच X 22 इंच) 1 नग गद्दा रूई का (4 X 6) 2 नग तकिया (2 X 1) 2 कॉटन रंगीन चादर (4 X 6)	उक्त उल्लेखित सामग्री हेतु व्यय सीमा 2348/– (दो हजार तीन सौ अड़तालीस रू मात्र) होगी।

01. निविदादाता फर्म को स्वयं के फार्म का नाम–पता वाली स्टीकर लगा नमूना सामाग्रियों का 01 सेट, मुहरबंद लिफाफे में दर एक साथ कार्यालय को निर्धारित तिथि–समय तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
02. पूर्व में प्रस्तुत निविदादाता द्वारा आवेदन पत्र हेतु पृथक से शुल्क जमा किया जावेगा जिसकी प्रति लिफाफा 'अ' के साथ प्रस्तुत करना होगा।
03. उपहार सामाग्री हेतु पृथक पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
04. निविदा दर में सभी **"कर"** सम्मिलित कर प्रस्तुत करना होगा, स्वीकृत निविदा दर के अतिरिक्त अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगी ।

05. निविदा जिला स्तरीय विभागीय क्रय समिति के द्वारा खोली जायेगी जिसमें निविदादाता स्वयं/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं, प्रतिनिधि को निविदादाता से प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला पत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रस्तुत नहीं करने के स्थिति में निविदा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
06. उपहार समाग्री एवं श्रृंगार सामाग्री हेतु प्रस्तुत निविदाकार को अधिकृत विक्रेता या अधिकृत सप्लायर का प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
07. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के स्थिति में सूचित किया जायेगा जिसके 07 दिनों के अन्दर 50/– के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में यह करार सम्पादित करके देगा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा जिला क्षेत्र के किसी भी परियोजना अधिकारी के द्वारा कार्यादेश जारी करने पर निर्धारित अवधि के अन्दर निर्दिष्ट स्थान पर आदेश संख्या में सामग्री आपूर्ति करेगा तथा ऐसा नहीं करने पर विभाग अन्यत्र क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा साथ ही मेरे द्वारा जमा की अमानत राशि राजसात करके काली सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
08. निविदाता फर्म द्वारा प्रदायित सामाग्रियों का भौतिक सत्यापन विकासखंड स्तरीय समिति के द्वारा किया जायेगा । भौतिक सत्यापन में सेम्पल से आपूर्ति हुए सामग्री का मिलान नहीं होने पर क्रय समिति द्वारा राशि में कटौती किये जाने या सामाग्री मूलतः लौटाये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा जो निविदादाता को मान्य होगा ।
09. निविदादाता को निविदा लिफाफा के साथ सेम्पल किट प्रस्तुत करना होगा जिसका अवलोकन क्रय समिति के द्वारा किया जायेगा । सेम्पल की वापसी नहीं होगी और न ही उसका कीमत देय होगा ।
10. आवश्यकता और उपलब्ध आबंटन के आधार पर मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।
11. प्रपत्र–'ब' हेतु प्रस्तुत सामाग्री के लिए प्रपत्र–'अ' में निविदादाता को अमानत राशि के रूप में राशि रू. 15,000/– का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी ड्राप्ट (बी.डी./डी.डी) जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास धमतरी के पक्ष में जारी हुआ हो इस राशि का ड्राप्ट निविदा प्रपत्र के लिफाफा 'अ' के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
12. एक निविदादाता का एक ही निविदा स्वीकार किया जायेगा एक ही निविदादाता का दो या अधिक निविदाएं प्राप्त होने पर उस निविदादाता के सभी निविदाएं अस्वीकार व निरस्त किया जा सकेगा ।
13. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास धमतरी या धमतरी जिले के किसी भी बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी किया जायेगा तथा समय–सीमा में वांछित आपूर्ति/कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा । ऐसा नहीं करने पर विभाग नया कार्यादेश उपलब्ध बाजार को जारी कर आपूर्ति/कार्य पूर्ण करायेगा तथा अधिक व्यय की वसूली नियमानुसार संबंधित निविदादाता से किया जा सकेगा तथा निविदादाता को काली सूची में रखे जाने व अमानत राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी ।
14. निविदादाता को कार्य पूर्ण होने के बाद आबंटन उपलब्धता अनुसार देयकों का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा । सफल निविदाकार को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा ।
15. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि निविदादाता को निविदा की सभी शर्तें मान्य व स्वीकार्य है ।
16. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने वाले विभागीय अधिकारियों से समन्वय पर कार्य करना होगा तथा विवाद की स्थिति में कलेक्टर धमतरी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।
17. जिले अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किसी भी परियोजना अन्तर्गत विवाह आयोजन होने पर निविदा में स्वीकृत दर के अनुसार ही आयोजन पर व्यय किया जावेगा।
18. **उपहार समाग्री, श्रृंगार सामाग्री एवं अन्य सामाग्री हेतु निविदादाता को दो लिफाफा में निविदा प्रस्तुत करना होगा प्रथम लिफाफा प्रपत्र 'अ' में तकनिकी अर्हता एवं द्वितिय लिफाफा प्रपत्र**

'ब' में वित्तीय दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है प्रपत्र 'अ' के अनुसार समस्त दस्तावेज जैसे पिछले 02 वर्ष का आयकर विवरणीय (वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20), वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी पंजीयन नम्बर, अमानत राशि रू 15,000/– (पन्द्राह हजार मात्र), जिला उद्योग एवं व्यपार केन्द्र का पंजीयन, नगरीय निकाय/ग्रामीण निकाय द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण, पत्र, वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी कर चुकता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगी, चालान की प्रति मान्य नहीं होगा), निविदादाता को अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र या उक्त सामाग्री सप्लायर का पत्र एवं आवेदन शुल्क की पावती(चालान) संलग्न करना अनिवार्य होगा । लिफाफा 'अ' का तकनीकी अर्हता पूर्ण करने वाले फर्मो का प्रपत्र 'ब' वित्तीय दर खोला जावेगा अन्यथा नहीं ।

19. वाणिज्यिकर विभाग का कर चुकता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा। चालान की प्रति मान्य नहीं होगी।

निविदा के सम्पूर्ण प्रक्रिया में जिला कलेक्टर का निर्णय बंधनकारी होगा।

डिप्टी कलेक्टर (कलेक्टर प्रतिनिधि) जिला–धमतरी समिति अध्यक्ष	जिला कोषालय अधिकारी जिला–धमतरी समिति सदस्य	महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र जिला–धमतरी समिति सदस्य	परि.अधिकारी कुरूद जिला–धमतरी समिति सदस्य	परि.अधिकारी धमतरी श. जिला–धमतरी समिति सदस्य	जिला कार्यक्रम अधिकारी मबावि जिला–धमतरी समिति–सचिव